

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:ई-33/नेत्र सहायक/कोर्ट केस/(282)2019/ दिनांक:

आदेश


एस बी.सिविल रिट पिटीसन नं० 4566/2019 श्री पवनकुमार आसीवाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा निदेशालय के आदेश क्रमांक 478 दिनांक 13.12.2018 पर स्थगन आदेश दिनांक 7.3.2019 पारित किया है। निदेशालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 7 दिनांक 7.2.2019 को अतिक्रमित किया जाता है। फलस्वरूप श्री पवन कुमार आसीवाल, नेत्र सहायक का वेतन हरिबक्श कांवटिया राजकीय चिकित्सालय जयपुर में नेत्र सहायक के मूल पद से आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

-sd-

( मुकुल शर्मा )  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/नेत्र सहायक/कोर्ट केस/(282)2019/75 दिनांक: 5/4/19  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
2. अधीक्षक, हरिबक्श कांवटिया राजकीय चिकित्सालय शास्त्री नगर जयपुर।
3. श्री पवन कुमार आसीवाल, नेत्र सहायक, हरिबक्श कांवटिया राज.चिकित्सालय जयपुर।
- ✓ 4. प्रभारी सर्वर रूम/विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करें।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज. जयपुर